न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

रीडर/2026/ 992

दिनांक – 26.02.26

प्रार्थीगण

1 रूगाराम 2 अशोक कुमार 3 हीराराम पिसरान भीयाराम जातियान मेघवाल निवासी जसनाथपुरी, चौखला तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 बालाराम पुत्र टीकूराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी जसनाथपुरी, चौखला तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :–760/2026 दिनांक– 17/02/2026

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जसनाथपुरी पटवार क्षेत्र चौखला तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खसरा संख्या 605/276 रकबा 7.6774 हेक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्त्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2026/ 993–996

दिनांक– 26.02.26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चौखला तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण अनाराम पुत्र भीयाराम जातियान मेघवाल निवासी जसनाथपुरी, चौखला तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण बालाराम पुत्र टीकूराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी जसनाथपुरी, चौखला तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर